बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग, पटना।

पत्रांक : यो०मो०–03–कार्य–10–25 / 2021–पार्ट–I– 1214

प्रेषक,

ई० ब्रजेश मोहन,
अभियंता प्रमुख (मुख्यालय)।

सेवा में,

प्रबंध निदेशक,
मे० दक्षिण बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, पटना।

पटना, दिनांक : 27/05/26

विषय : गंगा पम्प उच्चस्तरीय मुख्य नहर के कि०मी० 0.00 से 6.70 तथा हरिशचन्द्रपुर वितरणी के कि०मी० 10.35 से 14.50 तक के चाटलैंड में विभिन्न बिन्दुओं पर 33 KV का फीडर निर्माण कार्य एवं विद्युत पोल अधिष्ठापन कार्य हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत करने के संबंध में।

प्रसंग : विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, भागलपुर (पूर्वी) का पत्रांक 512 दिनांक 21.04.2026

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, भागलपुर द्वारा समर्पित प्रस्ताव एवं की गई अनुशंसा के आलोक में निम्न शर्त्तो के साथ गंगा पम्प उच्चस्तरीय मुख्य नहर के कि०मी० 0.00 से 6.70 तथा हरिशचन्द्रपुर वितरणी के कि०मी० 10.35 से 14.50 तक के चाटलैंड में विभिन्न बिन्दुओं पर 33 KV का फीडर निर्माण कार्य एवं विद्युत पोल अधिष्ठापन कार्य हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किया जाता है :–

1. प्रस्तावित विद्युत पोल विभागीय भूमि पर अधिष्ठापित करने के स्थल पर जल संसाधन विभाग का स्वामित्व बना रहेगा। भविष्य में नहर के सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ीकरण हेतु यदि विद्युत लाइनों या पोलों को हटाने की आवश्यकता होती है, तो विद्युत विभाग द्वारा इसे स्थानांतरित किया जायेगा।
2. विद्युत पोल का अधिष्ठापन नहर बांध के बाहरी टो से न्यूनतम 03 फीट छोड़कर चाटलैंड में विद्युत पोल अधिष्ठापित किया जायेगा।
3. विद्युत पोल अधिष्ठापन के दौरान वितरणी / नहर स्लोप, संरचना या तटबंध को किसी प्रकार से कोई छेड़छाड़ / क्षतिग्रस्त नहीं किया जायेगा।
4. संरचना निर्माण संबंधी रूपांकण एवं आलेख्य कार्यपालक अभियंता, गंगा पम्प नहर प्रमंडल, शिवनारायणपुर को समर्पित करना होगा एवं उनकी सहमति के उपरांत ही निर्माण कार्य किया जायेगा।
5. नहर के निकट किसी भी प्रकार की गहरी खुदाई से तटबंध कमजोर होने की संभावना है, अतः नियंत्रित फाउंडेशन कार्य कराना आवश्यक होगा।
6. नहर बांध पर विभागीय निरीक्षण वाहन, अनुरक्षण कार्य एवं आपात आवागमन हेतु पर्याप्त मार्ग रिक्त रखा जाना आवश्यक होगा।
7. जिन स्थानों पर विद्युत लाईन नहर के समानांतर होगी, वहाँ सुरक्षित दूरी रखना अनिवार्य होगा।
8. जिन स्थानों पर विद्युत लाईन नहर को क्रॉस करेगी, वहाँ विद्युत मानकों के अनुरूप Safe Vertical Clearance रखा जाना आवश्यक होगा।
9. वितरणी की संरचना या तल से मिट्टी नहीं काटी जाय।

10. प्रस्तावित विद्युत पोल अधिष्ठापित करने के दौरान/उपरांत संभावित दुर्घटना से बचाव हेतु आवश्यकतानुसार सुरक्षात्मक कार्य कराने की जिम्मेवारी कार्यकारी विभाग की होगी। निर्माण कार्य के दरम्यान/उपरांत कोई आकस्मिक दुर्घटना घटित होने की परिस्थिति में इसकी पूर्ण जिम्मेवारी कार्यकारी विभाग की होगी।

11. विद्युत पोल अधिष्ठापन के उपरांत विभागीय भूमि पर से अवशिष्ट पदार्थ (Waste Material) को हटाने की जिम्मेवारी कार्यकारी विभाग की होगी।

12. विद्युत पोल अधिष्ठापन के दरम्यान जल संसाधन विभाग के क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा कार्यहित में दिया गया निदेश मान्य होगा।

13. प्रस्तावित विद्युत पोल अधिष्ठापित करने के दौरान जल संसाधन विभाग की किसी भी परिसम्पत्ति की क्षति होने पर जल संसाधन विभाग के पदाधिकारियों के निदेशानुसार कार्यकारी विभाग अपने खर्च पर आवश्यक कार्य कराना सुनिश्चित करेंगे।

14. प्रस्तावित कार्य के दौरान वैसे अनदेखे कार्य (Unseen Work), जो जल संसाधन विभाग के कार्यहित में हो, उसे कार्यकारी विभाग को कराना होगा।

15. विद्युत पोल अधिष्ठापित करने की विशिष्टि एवं गुणवत्ता की जवाबदेही कार्यकारी विभाग की होगी।

16. प्रस्तावित कार्य से जल प्रवाह/Waterway प्रभावित या अतिक्रमित नहीं होना चाहिये।

17. भविष्य में विद्युत पोल के संरचनाओं की मरम्मति या विस्तारीकरण एवं अन्य कार्य जल संसाधन विभाग की सहमति से किया जा सकेगा।

18. उक्त शर्तो का उल्लंघन करने पर अनापत्ति प्रमाण–पत्र रद्द कर दिया जायेगा।

विश्वासभाजन

27/5/26

(ब्रजेश मोहन)
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय

पत्रांक : यो०मो०–03–कार्य–10–25/2021–पार्ट–I– 1214 पटना, दिनांक : 27/05/26

प्रतिलिपि : मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, भागलपुर/अधीक्षण अभियंता, सिंचाई अंचल, भागलपुर/कार्यपालक अभियंता, गंगा पम्प नहर प्रमंडल, शिवनारायणपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/5/26

(ब्रजेश मोहन)
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय

पत्रांक : यो०मो०–03–कार्य–10–25/2021–पार्ट–I– 1214 पटना, दिनांक : 27/05/26

प्रतिलिपि : कार्यपालक अभियंता, आई०टी० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/5/26

(ब्रजेश मोहन)
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय